REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244574 CG-DL-E-22032023-244574

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2023/फाल्गुन 30, 1944 No. 166] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/PHALGUNA 30, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2023

सा.का.नि. 208(अ).—जबकि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुपालन प्रथाएं और प्रक्रियाएं) नियम, 2021 का मसौदा 6 जनवरी, 2021 के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.12 (अ) के माध्यम से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (ठ) के तहत आवश्यक रूप से प्रकाशित किया गया था और जबकि इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव उस तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पहले आमंत्रित किए गए थे, जिस दिन उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई हैं;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 8 जनवरी, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जनता से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों को नियमों में सम्मिलित कर लिया गया है।

इसलिए, अब, धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा (3) एवं धारा 11(3) (ए) और (सी) के साथ पठित और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में रिट याचिका (सिविल) 5266/2020 और सीएम अपील संख्या 18967/2020, 22670/2020 और 31358/2020 दिनांक 22 नवंबर, 2022, में पारित आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुपालन कार्य और प्रक्रिया) नियम, 2023 है।

1885 GI/2023

- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
 - (ख) "पीड़ानाशक" ऐसी औषधियां अभिप्रेत हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर या परिधीय पीड़ा तंत्र पर प्रभाव डाल कर समुचित रूप से पीड़ा से मुक्ति देती है, अधिक स्पर्श, दबाब या तनाव या खिंचाव की उत्तेजना को दूर नहीं करती है, अर्थात् ऐसे पशु को अभी भी असुविधा महसूस हो सकती है और पीड़ानाशक पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
 - (ग) **"बार्बिटुरेट"** से अनुसूचित औषधि अभिप्रेत है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है और सामान्य निषचेतन उत्पन्न करती है।
 - (घ) "आंखो पर पट्टी बांधना" से मानवीय निकटता तथा संचालक दृश्यता के उन्मूलन हेतु किसी कपड़े, पट्टी या ऐसी ही किसी वस्तु से उनकी आंखों को ढक कर उनकी प्रतिक्रियाशीलता को कम करने की विधि अभिप्रेत है,
 - (ड़) "बछड़ा" से छह मास की आयु से कम का कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है;
 - (च) "परिषद" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के तहत स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अभिप्रेत है;
 - (छ) "सींग रोधन" से किसी पशु का सींग निकालना अभिप्रेरित है;
 - (ज) "अमुकुलन" से किसी पशु की सींग के मुकुल पर सींग बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करना अभिप्रेत है;
 - (झ) **"इच्छामृत्यु"** से 'अच्छी मृत्यु' अभिप्रेत है जो इस बात पर बल देती है कि पशु की हृदय की धड़कन और सांस रुकने और अंतत: मस्तिष्क के रुकने सहित महत्वपूर्ण संकेतों की समाप्ति से पूर्व किसी पशु को पीड़ा या कष्ट के बिना मूर्छित हो जाना चाहिए;
 - (ञ) **"मुख अगाड़ी"** से पशुओं को संभालने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पट्टा या रस्सी अभिप्रेत है जो कान के पीछे या मुण्ड के पीछे और थूथन के आस-पास बांधी जाती है;
 - (ट) "सामान्य संवेदनानाशक" से ऐसी औषधियां अभिप्रेत हैं जो जब व्यवस्थित रूप से दी जाती हैं तो स्पर्श, दबाव और तनाव सहित सभी संवेदनाओं के प्रतिवर्ती नुकसान का कारण बनती हैं, अचेतावस्था, गतिहीनता और मांसपेशियों में शिथिलता तथा सजगता के लोप का कारण बनती हैं और सामान्य संवेदनानाशक शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
 - (ठ) "हैलस्टेड के सिद्धांतों" से शल्य तकनीक के बुनियादी सिद्धांत अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऊतक का सौम्यता से उपयोग करना, रक्तस्त्राव को सावधानीपूर्वक रोकना, रक्त आपूर्ति का संरक्षण, सख्त आपूर्तिकर्ता ऊतकों पर न्यूनतम जोर, ऊतक का सन्निधान और निरर्थक स्थानों का अभिलोपन भी है;
 - (ड़) "अंत:शिरा" से तरल दवाओं का सीधे शिरा में अनुप्राणन अभिप्रेत है;
 - (ढ़) **"सीमित संवेदनानाशक"** से ऐसी कोई औषधि अभिप्रेत है जो सामयिक अनुप्रयोग या सीमित अन्त:क्षेपण पर संवेदी अनुभूति, विशेष रूप से शरीर के किसी निर्बधित भाग में पीड़ा दूर करती है और सीमित संवेदनानाशक शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
 - (ण) **"लघु पशुचिकित्सा सेवाओं"** से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 30 में यथा उपबंधित रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन पशुचिकित्सा पर्यवेक्षक, स्टॉकमैन या स्टॉक सहायक का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक पशुचिकित्सा सहायता जैसे टीकाकरण, बधियाकरण और घावों की मरहम पट्टी तथा प्रारंभिक सहायता के ऐसे अन्य प्रकार या ऐसी व्याधियों के उपचार जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, अभिप्रेत हैं;
 - (त) **"स्वामी"** से किसी पशु का स्वामी और स्वामी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वामी की सहमति से या सहमति के बिना ऐसे पशु के कब्जे या अभिरक्षा वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

- (थ) **"मुण्डित पशु"** से सामान्य रूप से सींग वाली नस्ल या प्रजाति का पशु जिसके चयनात्मक प्रजनन के कारण सींग न आए हों, अभिप्रेत है;
- (द) **"अग्र पीड़ानाशक"** से एक ऐसा उपचार अभिप्रेत है, जो प्रक्रिया और प्रारंभिक पश्चशल्यचिकित्सा अवधि के दौरान केंद्रीय संवेदीकरण की स्थापना को रोकने के लिए पीड़ादायक प्रक्रिया से पूर्व आरम्भ की जाती है;
- (ध) "विहित रीति" से अनिवार्य कार्रवाई या चरणों का अनिवार्य प्रक्रम अभिप्रेत है जिसे किसी प्रक्रिया में पालन किए जाने की आवश्यकता है और जिन्हें पशुचिकित्सक के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है या उसके पर्यवेक्षण में किया जाना है जैसा कि इन नियमों में उपबंधित है;
- (न) **"प्रतिषिद्धि व्यवसाय"** से ऐसे व्यवसाय अभिप्रेत हैं, जो पशुओं के लिए अपहानिकार हैं और जो पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट देते हैं या जिन व्यवसायों को इन नियमों का उल्लंधन करते हुए किया जाता है।
- (प) "शामक" से ऐसी औषधि अभिप्रेत हैं, जो व्यवस्थित रूप से दिए जाने के परिणामस्वरूप पशु को शांत करती है, जिससे पशु बाहरी उत्तेजनाओं जैसे शोर के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है और प्रतिकूल स्थितियों में भय को कम करता है, लेकिन इसका कम या कोई एनाल्जेसिक प्रभाव नहीं होता है और 'शामक' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (फ) "राज्य बोर्ड" से राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ब) **"राज्य पशु चिकित्सा परिषद"** से कोई पशुचिकित्सा परिषद अभिप्रेत है जो धारा 32 के अधीन स्थापित है और इसके अंतर्गत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 33 के अधीन करार के अनुसार स्थापित कोई संयुक्त राज्य पशुचिकित्सा परिषद भी है;
- (भ) "पशुचिकित्सा निरीक्षक" से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड या राज्य पशु कल्याण बोर्ड, या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, या राज्य पशु चिकित्सा परिषद या राज्य पशु पालन विभागों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक अभिप्रेत है;
- (म) "रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम तत्समय, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित किसी राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्टर में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है;
- 3. **पशुपालन प्रक्रिया –** (1) मवेशियों के सींग निकालने की प्रक्रिया, और किसी भी पशु के बधियाकरण या ब्रांडिंग या नाक में रस्सी बांधने की प्रक्रिया केवल एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक द्वारा की जाएगी:

बशर्ते कि राज्य सरकार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 30 के अधीन, एक रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के सख्त पर्यवेक्षण या निर्देशन के अधीन एक लघु पशु चिकित्सा प्रक्रिया करने के लिए पशु चिकित्सा पर्यवेक्षक, पशुपालक या स्टॉक सहायक का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों के लिए अधिसूचित करेगी।

- (2) पशुपालन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया सम्मिलित है, अर्थात्:
 - i. बधियाकरण;
 - ii. सींगरोधन या अमुकुलन;
 - iii. दागना और;
 - iv. नकेल डालना।
- 4. बधियाकरण के लिए विहित रीति: (1) किसी पशु का बधियाकरण यथा संभव प्रारंभिक आयु में संवेदनानाशक या पीड़ानाशक का उपयोग करते हुए पशु चिकित्सक की सिफारिश या पर्यवेक्षण में जहां व्यावहारिक हो, वहां पर पशु को इष्टतम उम्र से पहले, यानी गोजातीय पशुओं के मामले में तीन से छह महीने, भेड़ और बकरी की आठ से बारह सप्ताह की उम्र (अधिमानतः तीन महीने से अधिक), घोड़ों के लिए छह से बारह महीने, सूअर के बच्चों को चार से चौदह दिनों और कुत्ते के बच्चों को छह से नौ महीने की उम्र पा पर्यवेक्षण में जहां या वहारिक हो, वहां पर पशु को इष्टतम उम्र से पहले, यानी गोजातीय पशुओं के मामले में तीन से छह महीने, भेड़ और बकरी की आठ से बारह सप्ताह की उम्र (अधिमानतः तीन महीने से अधिक), घोड़ों के लिए छह से बारह महीने, सूअर के बच्चों को चार से चौदह दिनों और कुत्ते के बच्चों को छह से नौ महीने की उम्र में या इस आयु के बाद पहली बार में उपलब्ध अवसर पर न्यूनतम पीड़ा या कष्टदायक विधि द्वारा बधियाकरण किया जायेगा।
 - (2) पशु का बधियाकरण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) प्रक्रिया से पहले और दौरान पशु की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और मानवीय रूप से नियंत्रित किया जाएगा;
- (ख) बधियाकरण से पूर्व पशुओं को सामान्य और सीमित एनेस्थेटिक्स दिया जाएगा, भले ही अपनाई गई विधि कुछ भी हो;
- (ग) एनेस्थीसिया के दौरान, पशु को सर ऊंचा करके पार्श्व पुनरावृति पर नरम जमीन पर रखा जाएगा;
- (घ) सर्जिकल विधि के माध्यम से बधियाकरण हैल्सटेड के सिद्धांतों को सुनिश्चित करेगा और भौतिक विधि के माध्यम से बधियाकरण हेतु बर्डीजो क्लैंप का उपयोग किया ताकि सख्त असेप्सिस सुनिश्चित की जा सके;
- (ड़) पशुचिकित्सक की सिफारिश या पर्यवेक्षण के अधीन पशुओं के पश्च-प्रक्रियात्मक एनाल्जेसिक दिया जाएगा।
- सींग-रोधक और अमुकुलन के लिए विहित रीति: किसी पशु का सींग रोधन अमुकुलन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्: -
 - (क) प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान पशु की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और मानवीय रूप से संभाला जाएगा;
 - (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक की सिफारिश और पर्यवेक्षण के अधीन पशुओं को शामक औषधि, पीड़ानाशक औषधियां और सीमित संवेदनानाशक प्रदान किया जाएगा,
 - (ग) किसी रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक की सिफारिश और पर्यवेक्षण के अधीन पशुओं को पश्च-प्रक्रियात्मक पीड़ानाशक दिया जाएगा,
 - (घ) जहां कहीं केवल मुण्डित (प्राकृतिक रूप से सींग रहित) पशुओं के चयन और प्रजनन को प्राथमिकता दी जाएगी, उस स्थिति में सींग रोधन और अमुकुलन को एक नीति के रूप में बंद कर दिया जायेगा।
 - (ङ) पशु को शल्यक्रिया के पश्चात असंक्रमित घाव भराव हेतु उचित स्थितियाँ प्रदान की जायेंगी।
- 6. दागने के लिए विहित रीति :- किसी पशु को निम्नलिखित रीति में दागा जाएगा अर्थात् :-
 - (क) किसी पशु की पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पद्धतियों जैसे कि ईयर-टैगिंग, गोदना, ठंडी वस्तु से दागना और रेडियों फ्रीक्वेंसी पहचान युक्तियों का उपयोग किया जायेगा;
 - (ख) गर्म वस्तु से दागने की प्रक्रिया केवल मृत ऊतकों पर की जाएगी जैसे कि घोडों के मामले में खुर या गोपशुओं के मामले में सींग;
 - (ग) दागने की गहराई सींग या खुर के मृत ऊतक की मोटाई के ¾ से अधिक नहीं होगी;
 - (घ) प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान पशु की आखों पर पट्टी बांध दी जायेगी और उसे मानवीय रूप से संभाला जायेगा;
 - (ड़) रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक की सिफारिश या पर्यवेक्षण के अधीन पशुओं को शामक औषधि और पूर्व पीड़ानाशक दिया जायेगा।
 - (च) पश्च-प्रक्रियात्मक दर्दनाशक औषधियों को एक रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सक की सिफारिश या उसके करीबी पर्यवेक्षण में पशुओं को प्रशासित किया जाना चाहिए।
- 7. नकेल डालने के लिए विहित रीति किसी पशु को निम्नलिखित रीति में नकेल डाली जाएगी, अर्थात् :-
 - (क) नाक छिदवाने के समय पशु का ध्यान हटाने के लिए पशु को आराम से संभालने और नियंत्रिक करने के लिए मुख अगाड़ी, आंखों पर पट्टी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें शीरा, मूंगफली की खली और हरी घास खिलाना, साथ ही मौखिक और भौतिक संकेत जैसे कि शांत ढंग से बात करना और धीरे-धीरे थप-थपाना भी सम्मिलित है;
 - (ख) नाक पट के छेदने से पहले शामक औषधि और पूर्व पीड़ानाशक दिया जाएगा;

- (ग) नाक पट को छेदने के लिए रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक की सिफारिश और पर्यवेक्षण के अधीन रोगाणुहीन यंत्र का उपयोग किया जायेगा;
- (घ) नकेल डालने के लिए प्राकृतिक रेशों और चिकनी या गैर-अपघर्षक सामग्री से बनी रस्सीयों का उपयोग किया जाएगा;
- (ड़) पशुचिकित्सक की सिफारिश या पर्यवेक्षण के अधीन पशुओं को पश्च प्रक्रियात्मक पीड़ानाशक दिया जाएगा।
- पशुओं की इच्छामृत्यु के लिए विहित रीति (1) किसी पशु को इच्छामृत्यु निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाएगी :-
 - (क) जब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसा कोई भी पशु मिलता है जो इतना रोगग्रस्त है कि, वह उस रोग को फैला सकता है तो उस रोग को नियंत्रण करने के लिए;
 - (ख) यदि पशु चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि पशु प्राणघातक रूप से घायल है या इतना गंभीर रूप से घायल है या ऐसी शारीरिक स्थिति में है कि उसे जीवित रखना क्रूरता होगी।
 - (2) इच्छामृत्यु पशुओं के स्वामी या संरक्षक द्वारा लिखित रूप में सहमति से दी जाएगी।

(3) इच्छामृत्यु को एक ऐसी पद्धति से दिया जाएगा जिसमें पशु को कम-से-कम संभालने और चलने-फिरने की आवश्यकता होती है और विश्व पशु स्वास्थ संगठन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन करते हुए या रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन; पशुओं के मानवीय वध के लिए पशुओं पर नियंत्रण और प्रयोगों के पर्यवेक्षण के उद्देश्य से।

(4) इच्छामृत्यु निम्नलिखित रीति से दी जायेगी, अर्थात् :-

- (क) पशु की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, पशु को मानवीय तरीके से पकड़ा और नियंत्रित किया जाएगा जिसका लक्ष्य भय, पीड़ा और संकट को कम करना होगा;
- (ख) इच्छामृत्यु वाले पशुओं को अगर चिंताजनक या भय की स्थिति में पाया जाता है या अगर किसी पशुचिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन में पशु या उसे संभालने वाले की सुरक्षा को लेकर चिंताएं है, तो उन्हें शामक औषधि दी जाएगी।
- (ग) किसी भी पशु को दूसरे जीवित पशु की उपस्थिति में इच्छामृत्यु नहीं दी जाएगी।
- (घ) पशु को तेजी से संज्ञाहरण और अपरिवर्तनिय बेहोशी पैदा करने के लिए संवेदनाहारी की अधिमात्रा दी जायेगी और उसके बाद श्वसन अवसाद, अल्प-ऑक्सीयता और हृदयगति अवरोध होगा; और
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक परिसर को तब तक नहीं छोडेगा जब तक कि यह निश्चित न हो जाए कि पशु मर चुका है।
- 9. निषिद्ध प्रथाएं जो क्रूर और हानिकारक हैं –इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को क्रूर गतिविधियों के रूप में माना जाएगा :-
 - (क) नाक के माध्यम से एक से अधिक रस्सी डालना;
 - (ख) नकेल डालने के लिए अप्राकृतिक, अपघर्षक या तीव्र सामग्री जैसे नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य का उपयोग;
 - (ग) प्रौढ़ पशुओं में इलास्ट्रेशन (रबर के छल्ले का उपयोग करके शरीर के अंग को बांधना; बधियाकरण के लिए अंडकोश की थैली पर और डॉकिंग के लिए पूंछ पर);
 - (घ) अनुमानित प्रच्छन्न अंडग्रथियां (अंडकोष को कम होने से रोकना);
 - (ङ) रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निर्देशन के बिना की गई लघु पशुचिकित्सा सेवाएं;

- (च) कोई भी अन्य आक्रामक पशु चिकित्सा प्रक्रिया जो इन नियमों के अधीन सूचीबद्ध नहीं हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के अलावा किसी अन्य द्वारा पीड़ानाशक के बिना किया जाता है;
- (छ) जीवित ऊतकों पर फ्रीज ब्रांडिंग (कोल्ड ब्रांडिंग) और हॉट ब्रांडिग
- 10. **नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति** इन नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और अधिनिमन की धारा 11, धारा 12, और धारा 13 के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. V-11011/18/3/2019-(SR)]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING,

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2023

G.S.R. 208(E).—Whereas the draft of Prevention of Cruelty to Animals (Animal Husbandry Practices and Procedures) Rules, 2021 were published as required under the sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying notification number G.S.R 12(E) dated 6th January, 2021 and whereas objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby were invited before the expiry of sixty days from the date on which the copies of gazette containing the said notification have been made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 8th January, 2021;

And whereas the objections or suggestions received from the public have been incorporated in the rules.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the section 38 read with section (3) and Section 11(3) (a) and (c)of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and in pursuance of order issued by the Hon'ble High Court of Delhi, Writ Petition (Civil) 5266/2020 & CM Appeals no. 18967/2020, 22670/2020 and 31358/2020 dated 22nd November, 2022, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement. — (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Animal Husbandry Practices and Procedures) Rules, 2023.)

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

- 2. Definitions.— (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
 - (b) **"analgesic"** means such drugs that selectively relieve pain by acting on the central nervous system or on peripheral pain mechanisms, mostly not removing the sensations of touch, pressure or tension or stretching; meaning such animal may still feel discomfort and the term analgesia shall be construed accordingly;
 - (c) **"barbiturate"** means a scheduled drug which acts on the central nervous system and produces general anaesthesia;
 - (d) "blind folding" means method of reducing reactivity by covering the eyes with a cloth, bandage, or the likeused for improving the welfare of an animal by reducinglevels of fear and distress through the elimination of the human proximity and handler visibility;
 - (e) "Calf" means a bovine animal under the age of six months;
 - (f) "Council" means the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
 - (g) "dehorning" means removal of the horn of an animal;
 - (h) "disbudding" means the destruction of horn producing cells on the hornbud of an animal;

- (i) "euthanasia" means a 'good death' which emphasizes that an animal should be unconsciousand insensitive to pain, distress and sufferingprior to the cessation of vital signs, including cardiac and respiratory arrest ultimately, the loss of brain function.
- (j) **"face halter"** means a strap or rope used to handle and control animals which fits behind the ears or behind the poll and around the muzzle;
- (k) "general anaesthetic" means such drugs when administered systemically causes reversible loss of all sensation including pain, touch, pressure and tension, loss of consciousness, causes immobility and muscle relaxation and the abolition of reflexes and the term general anaesthesia shall be construed accordingly;
- "Halsted's principles" means the basic principles of surgical technique and include gentle handling of tissue; meticulous stoppage of bleedings, preservation of blood supply, strict asepsis, minimum tension on tissues, accurate tissue apposition and obliteration of dead spaces;
- (m) "intravenous" means injection or infusion of liquid drugs directly into the vein;
- (n) "local anaesthetic" means any such drugs which upon topical application or local injection cause reversible loss of sensory perception, especially of pain in a restricted area of the body and the term local anaesthesia shall be construed accordingly;
- (o) "minor veterinary services" means the rendering of preliminary veterinary aid, like, vaccination, castration, and dressing ofwounds, and such other types of preliminary aid or the treatment of such ailments asare notified by the State Government, by a person holding a diploma or certificate of veterinary supervisor, stockman or stock assistant under the supervision and direction of a Registered Veterinary Practitioner, as provided in section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- (p) "**owner**" means the owner of an animal and includes any other person in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;
- (q) **"polled cattle"** means an animal of a normally horned breed or species that do not grow horns due to selective breeding;
- (r) **"pre-emptive analgesia"** means a treatment that is initiated before a painful procedure in order to prevent the establishment of central sensitization during the procedure and in the early postoperative period;
- (s) **"prescribed manner"** means a mandatory course of action or steps that need to be followed in a procedure and to be undertaken by a veterinarian or done under his supervision as provided in these rules;
- (t) "**prohibited practices**" means practices that are harmful to animals and that cause unnecessary pain or suffering to animals or practices carried out in violation of these rules;
- (u) "sedative" means any such drugs which upon systemic administration results in calming the animal, makes the animal less sensitive to external stimuli such as noise, and reduces fear in unfamiliar situations, but haslittle or no analgesic effect and the term 'sedation' shall be construed accordingly;
- (v) "State Board" means the State Animal Welfare Board;
- (w)"State Veterinary Council" means a Veterinary Council established under section 32, and includes a Joint State VeterinaryCouncil established in accordance with an agreement under section 33 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- (x) "Veterinary Inspector" means a Registered Veterinary Practitioner appointed by the Animal Welfare Board of India, or the State Animal Welfare Board, or the Veterinary Council of India, or State Veterinary Council or State Animal Husbandry Departments;
- (y) "Registered Veterinary Practitioner" means a person whose name is, for the time being, duly registered in a register of any State Veterinary Council established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

3. Animal husbandry procedures.-

(1) The procedure of dehorning of cattle, and of the castration or branding or nose roping of any animal shall be done only by a registered veterinary practitioner:

Provided that under section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the State Government shall notify for persons holding a diploma or certificate of veterinary supervisor, stockmen or stock assistant for performing a minor veterinary procedure under the close supervision or direction of a registered veterinary practitioner.

(2) The following is the procedure in respect of Animal Husbandry, namely:-

(i) castration;

- (ii) dehorning or disbudding;
- (iii) branding; and
- (iv) nose-roping.
- 4. Manner for castration: (1) The castration of an animal shall be performed at early age as possible using anaesthesia and analgesia under the recommendation or supervision of a registered veterinary practitionerand where practical, the animal shall be castrated before the optimal age, i.e. in case of bovine animals three to six months, sheep and goat eight to twelve weeks of age (preferably older than three months), equine six to twelve months, piglet four to fourteen days and dog six to nine months of age, or at the first available handling opportunity beyond this age using the method available that causes least pain or suffering to the animal.
 - (2) the castration of an animal shall be done in the following manner, namely:-
 - (a) the animal shall be blind folded and humanely handled before and during the procedure;
 - (b) general and local anaesthetics shall be given to animals prior to castration, irrespective of the method used;
 - (c) during anaesthesia, animal shall be placed on a soft ground on lateral recumbency with the head elevated;
 - (d) castration through surgical method shall ensure Halsted's principles and castration through physical method using Burdizzo clamp to ensure strict asepsis; and
 - (e) post-procedural analgesics shall be given to animals under the recommendation or close supervision of a registered veterinary practitioner.
- 5. Manner for dehorning and disbudding: the dehorning and disbudding of an animal shall be done in the following manner, namely:-
 - (a) the animal shall be blind folded and humanely handled before and during the procedure;
 - (b) administration of sedatives, analgesics and local anaesthesia shall be provided to animals under the recommendation and supervision of a registered veterinary practitioner.;
 - (c) post-procedural analgesics shall be given to animals under the recommendation and close supervision of a registered veterinary practitioner.;
 - (d) wherever selection and breeding of polled (naturally hornless) cattle is preferred as a policy, dehorning and disbudding shall be discouraged; and
 - (e) "the animal shall be given post-operative care to provide sterile wound healing conditions."
- 6. Manner for branding.- the branding of an animal shall be done in the following manner, namely:-
 - (a) alternative identification methods such as ear-tagging, ear-notching, tattooing and use of radio frequency identification devices shall be preferred for the identification of an animal;
 - (b) hot branding shall only be carried on dead tissues such as hoof in the case of horses or horn in the case of cattle;
 - (c) the depth of branding shall not exceed third or fourth of the thickness of the dead tissue of the horn or hoof;
 - (d) the animal shall be blind folded and humanely handled before and during the procedure;
 - (e) sedatives and pre-emptive analgesics shall be administered to animals under the recommendation or supervision of a registered veterinary practitioner; and
 - (f) post-procedural analgesics shall be administered to animals under the recommendation or close supervision of a registered veterinary practitioner.
- 7. Manner for nose-roping.- The nose roping shall be done in the following manner, namely;-
 - (a) Nose roping of an animal shall be permissible only as a last resort after exhausting methods to handle and restrain the animal by the use of face halter, blind folding, and by adopting humane behavioral methods including offering treats such as molasses, groundnut cake and green grass, as well as verbal and physical cues such as calmly talking to and gently stroking the animal;
 - (b) sedative and pre-emptive analgesics shall be given before piercing the nasal septum;
 - (c) a sterile instrument for piercing the nasal septum shall be used under the recommendation and supervision of a registered veterinary practitioner;

- (d) ropes made of natural fibre and smooth or non-abrasive material shall be used for nose-roping; and
- (e) post-procedural analgesics shall be administered to the animal under the recommendation or close supervision of a veterinary practitioner.

8. Manner for Euthanasia of animals.-(1)The Euthanasia of an animal shall be carried out under the following circumstances, namely:-

- (a) when the Central Government or the State Government who finds any animal which is so diseased that, it can spread the disease, in order to control such disease; and
- (b) if the registered veterinary practitioner certifies that the animal is mortally injured or so severely injured or in such a physical condition that it, shall be cruel to keep it alive.

(2) 'The euthanasia shall be performed with the consent of the owner of the animals or custodian of the animals in writing.

(3) The euthanasia shall be performed in a method where minimum handling and movement of the animal is required and by following any of the procedures laid down by the World Animal Health Organisation or by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals for humane killing of an animal under the supervision of a registered veterinary practitioner;

(4) Euthanasia shall be done in the following manner, namely:-

- (a) the animal shall be blindfolded, the handling and control of animal shall be humane, aimed at minimising fear, pain and distress;
- (b) animals to be euthanised shall be given sedative if found to be anxious or in a state of fear or if there are concerns over the safety of the animal or the handler under the supervision of a veterinarian;
- (c) no animal shall be euthanised in the presence of another live animal;
- (d) the animal shall be given an overdose of anaesthetic to cause rapid anaesthesia and irreversible unconsciousness, and followed by respiratory depression, hypoxia and cardiac arrest; and
- (e) The registered veterinary practitioner shall not leave the premises until it is certain that the animal is dead.
- **9. Prohibited practices that are cruel and harmful.** The following activities shall be considered as cruel activities for the purposes of these rules, namely:-
 - (a) inserting more than one rope through the nose;
 - (b) use of unnatural, abrasive or sharp materials such as nylon, plastic and others for nose roping;
 - (c) elastration (banding the body part using rubber rings; on the scrotum for castration and on tail for docking) in adult cattle;
 - (d) induced cryptorchidism (to prevent descend of testicles);
 - (e) Minor veterinary services carried out without the supervision and direction of a Registered Veterinary Practitioner;
 - (f) any other invasive veterinary procedure which are not listed under these rules and are carried out without anaesthesia by someone other than a Registered Veterinary Practitioner; and
 - (g) Freeze branding (cold branding) and hot branding on live tissues.
- **10. Penalty for Contravention of rules.** Contravention of any of the provisions of these rules shall be punishable offence and shall be punished in accordance with the provisions of sections 11, 12 and 13 of the Act.

[F. No. V-11011/18/3/2019-(SR)]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.